उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या-27/2018/सा-3-1014/दस-2018-944/88-टी0सी0-।

लखनऊ : दिनाँक 05 दिसम्बर, 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या-13/2015-सा-3-631/दस-2015-944/88, दिनाँक 24-06-2015 द्वारा प्रत्येक वर्ष 17 दिसम्बर को प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पेंशनर दिवस आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं। विभिन्न पेंशनर संगठनों द्वारा सामान्यतया इस आशय की शिकायत की गयी है कि पेंशन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्राय: विभिन्न कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण प्रतिभाग नहीं करते हैं जिससे न केवल पेंशनरों की समस्याओं के निस्तारण में कठिनाई हो रही है अपितु पेंशनर दिवस आयोजित किये जाने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पेंशनर दिवस के कार्यक्रम की अध्यक्षता या तो स्वयं करें या उनके द्वारा अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी को कार्यक्रम की अध्यक्षता हेतु नामित किया जाय। इसके साथ ही, यह भी अपेक्षित है कि जिलाधिकारियों के स्तर से जनपद स्थित समस्त कार्यालयाध्यक्षों को यह निर्देश दे दिये जायं कि पेंशनर दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वह स्वयं अथवा कार्यालय के किसी वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी को कार्यक्रम में उपस्थित रहें, एवं पेंशनरों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें।

3- पेंशनर दिवस में हुये विचार-विमर्श के सम्बनध में संक्षिप्त कार्यवृत्त जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा तैयार कराकर निदेशक, पेंशन, इंन्दिरा भवन, लख्नऊ एवं शासन को प्रेषित किया जाये।

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 27/2018/सा-3-1014(1)/दस-2018-944/88-टी0सी0-। तद्दिनांक

प्रतिलिपि :-

1- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

2- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

3- निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लख्नऊ।

4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लख्नऊ को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया इस कार्यालय ज्ञाप को समुचित प्रसार एवं प्रचार करा दें।

5- संयोजक संयुक्त पेंशनर्स समन्वय समिति, उ0प्र0।

6- अध्यक्ष, उ0प्र0 पेंश्नर्स कल्याण संस्था, 51 मानस विहार कुर्मांचल नगर, लखनऊ।

7- गर्वनमेण्ट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाईजेशन, उ0प्र0 एच0आई0जी0, 80/23, रूचि खण्ड-।, शारदा नगर, लखनऊ।

8- उ0प्र0 राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद, बी-1/81, सेक्टर-जी, अलीगंज, लखनऊ।

9- पी0सी0एस0 (सेवानिवृत्त) आफिसर्स एसोसियेशन, उ0प्र0 32-बी अग्निपथ, एल0डी0ए0 कालोनी, 07 सप्रू रोड, इलाहाबाद।

10- उ0प्र0 सचिवालय, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसियेशन, 54 कैण्ट रोड, उदयगंज, लखनऊ।

11- उ0प्र0 पुलिस, पेंशनर्स कल्याण संस्थान, 19/47, इन्दिरा नगर लखनऊ।

12- सेवानिवृत्त डिप्लोमा इन्जीनियर्स कल्याण संघ, उ0प्र0 राजभवन 630, अंलकार सिनेमा रोड, लखनऊ।

13- सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसियेशन, उ0प्र0 19/76, इदिरा नगर, लखनऊ।

14- उ0प्र0 पेंशनर्स कल्याण संस्था, 51 मानस विहार, कुर्मान्चल नगर लखनउ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in